(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील **1143-PBR/2011** विरूद्ध आदेश दिनांक 05–05–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 580/बी–105/2009–10 अपील ।

1–श्रीमती नेहा पत्नी शैलेन्द्र यादव पुत्र पदमसिंह यादव,
निवासी शंकर नगर नासिक महाराष्ट्र
द्वारा मुख्त्यार आम पदमसिंह तनय स्व0श्री सबदलसिंह यादव
निवासी शिवाजी वार्ड बीना तहसील बीना जिला सागर

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर

..... प्रत्यर्थी

श्री राजेश सेन, अभिभाषक अपीलार्थी

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3/3/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 580/बी–105/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–5–11 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम,1899 (जिसे आगे केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा जिला पंजीयक सागर के प्रकरण क्रमांक 46/बी–105/08–09 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2008 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहॉ प्रस्तुत की गई जिसमें अपर आयुक्त द्वारा लिमिटेशन की गणना किये जाने के उपरांत 19 दिवस का विलम्ब अपील प्रस्तुत किये जाने में पाया गया । अपीलार्थी द्वारा उनके समक्ष विलम्ब के संबंध में

दिन–प्रतिदिन का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया उसमें कोई समाधानकारक कारण कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत होना नहीं पाया गया इस कारण प्रस्तुत अपील प्रथमदृष्टया समयावधि बाह्य होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–5–11 से निरस्त कर दी गई । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित इसी आलोच्य आदेश दिनांक 5–5–11 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने निवेदन किया गया परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्को पर विचार किया जा रहा है । प्रस्तुत तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अपीलार्थी द्वारा पटवारी हल्का नम्बर 33 सर्किट मण्डी बामोरा तहसील बीना के खसरा नम्बर 282/2 व 282/3 कुल रकवा 0.80 हेक्टर जमीन रंजनसिंह से खरीदी । उसे ग्राम पटवारी द्वारा त्रुटिवश सिंचित लिख दी है जबकि उक्त रकवा किसी भी रूप में सिंचित नहीं है । उप पंजीयक द्वारा रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी पर 27408/– रुपये जमा करने का आदेश पारित कर दिया । इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय को विचार करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सरसरी तौर पर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के आवेदन को निरस्त कर सम्पूर्ण अपील खारिज कर दी, जो उचित नहीं है । अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया था । अपर आयुक्त को प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विलम्ब क्षमा करते हुये अपील का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करना चाहिये था । अतः में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सागर एवं अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा पारित आदेश निरस्त कर अपीलार्थी पर लगाया गया कमी मुद्रांक शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया ।

4– उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया । आवेदिका(अपीलार्थी) को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने दो बार रजिस्टर्ड ए0डी0 से सूचना भेजी, जो उन्हें प्राप्त हुई । प्रकरण में

समस्त कार्यवाही आवेदिका की ओर से उनके मुख्तारआम पदमसिंह ने की है तथा रजिस्टर्ड ए0डी0 से भेजा गया सूचना पत्र उन्हीं के पते पर भेजा गया था । अतः यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें सूचना नहीं मिली । धारा 5 का शपथपत्र भी मुख्तारआम पदमसिंह ने ही दिया । स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी अपील समयबाह्य मानने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

5– जहॉ तक गुणदोषों का प्रश्न है यह तथ्यात्मक है कि भूमि की खसरे में सिंचित होने की प्रविष्टि है । भू–अभिलेख की प्रविष्टि को तब तक अमान्य नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके विरोध में कोई साक्ष्य न हो । आवेदिका की ओर से ऐसा कोई प्रमाण/साक्ष्य पेश नहीं किया है । स्पष्ट है कि कलेक्टर ने बाजार मूल्य की गणना में कोई त्रुटि नहीं की है ।

6– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह अपील आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.